और गंगा सिंध मैदान की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जलविभाजन प्रबन्ध की केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें चल रही हैं। जिनके अन्तर्गत मांग और प्राथमिकता के आधार पर उत्तर-प्रदेश सहित राज्यों को धन-राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथोरागढ़ सहित कस्बों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

7732. **श्री हरीश रावत** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान उनके मन्त्रालय द्वारा विभिन्न शहरों, कस्बों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) 1983-84 के लिये इस राज्य को शहर/कस्बा वार कितनी राशि जी जायेगी;

(ग) क्या अल्मोड़ा शहर के विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तथा पिछड़ेपन को देखते हुए इस शहर के विकास के लिये गत वर्ष प्रदान की गई राशि को इस वर्ष दुगना कर दिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ तो क्या इस योजना के अन्तर्गत वह पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) को लाभान्वित करने के बारे में भी विचार करेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत नगरों के विकासार्थ उत्तर प्रदेश सरकार को 1982-83 में 59.00 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दी गई है।

(ख) 1983-84 में राज्य के प्रत्येक नगर के लिये निधियों का नियतन राज्य सरकार द्वारा प्रेषित उपयोग प्रमाण-पत्र तथा प्रगति रिपोर्टों पर निर्भर होगा।

(ग) 112.08 लाख रुपये के अनुमोदित कार्यक्रम की तुलना में अल्मोड़ा के लिए अब तक 11.00 लाख रुपये की राशि की गई है।

प्रत्येक नगर के लिये केन्द्रीय सहायता अधिकतम 40 लाख रुपये तक सीमित है। वर्ष 1983-84 में अल्मोड़ा नगर को अतिरिक्त निधियों का रिलीज उत्तर प्रदेश सरकार पर निर्भर होगा कि वह नगर के लिए पहले किये गये रिलीजों की प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए सभी 23 नगरों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए नगरों में से एक नगर के रूप में पिथौरागढ़ नगर को शामिल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश द्वारा वन भूमि पर निर्माण कार्य के लिए अनुमति मांगा जाना

7733. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अधिनियम 1980 के प्रभावी होने की तारीख से उनके मन्त्रालय को उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वन भूमि पर निर्माण कार्य हेतु सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, उत्तर-काशी और टेहरी जिलों से मामले प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामलों में अनुमति दी गई तथा कितने मामले प्रपत्र ठीक से भरे न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश सरकार को लौटाये गये और कितने मामलों में अनुमति रोकी गई तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान केन्द्रीय दल अधिनियम वन क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास में बाधक सिद्ध नहीं हो रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त अधिनियम के कारण इन क्षेत्रों के योजनाबद्ध निर्माण कार्य रुके हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब और रुकावटों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हाँ । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमौली, पौड़ी-गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल जिलों से वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए उपयोग करने सम्बन्धी मामले प्राप्त हुए हैं ।

(ख) 67 मामलों को मंजूरी दी गई है, 14 मामलों को आगे स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है, 9 मामलों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है और एक मामले को नामंजूर कर दिया गया है । जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि वन भूमि का गैर-वानिकी कार्यों के लिए अन्धाधुन्ध उपयोग करने को रोका जा सके । प्रत्येक मामले की विस्तार से जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वन क्षेत्र विकास के लिये निर्मुक्त किया जाता है ।

(घ) अधिनियम के अन्तर्गत विनियमन का अभिप्राय: वनों का संरक्षण करना है जो योजनावद्ध विकास के लिए जरूरी है । केन्द्रीय सरकार द्वारा मामलों का निपटान यथा-शीघ्र किया जाता है ।

(ङ) राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं ताकि वे राज्य स्तर पर मामलों में कार्यवाई पूरी करने के लिये दो महीने से अधिक समय न लें । ऐसे वन क्षेत्रों में जहाँ कोई वृक्ष नहीं काटा गया है, योजनाएँ चलाने के बारे में प्रपत्र को और आसान बनाया गया है ।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमौली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के जिलों में 25-10-80 से 31-3-83 तक प्राप्त मामलों का जिलावार ब्यौरा ।

(क) स्वीकृत किये गये प्रस्ताव :

जिला	मामलों की संख्या	सम्बन्धित क्षेत्र (हैक्टयर में)
अल्मोड़ा	19	8.803
टेहरी गढ़वाल	8	9.973
उत्तरकाशी	13	52.799
पौड़ी गढ़वाल	6	4.571
चमौली	5	2.132
पिथौरागढ़	16	32.044
योग	67	110.322

(ख) अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को भेजे गये प्रस्ताव :

पौड़ी गढ़वाल	2	40.974
टेहरी गढ़वाल	3	3.720
उत्तरकाशी	3	0.505
चमौली	1	5.520
अल्मोड़ा	5	8.252
पिथौरागढ़	—	—
योग	14	56.971

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित प्रस्ताव :

पौड़ी गढ़वाल	1	0.607
चमौली	8	48.335
योग	9	48.942

(घ) नामजद किये गए प्रस्ताव :

पौड़ी गढ़वाल	1	2.160

Drought in Maharashtra

7734. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that acute drought condition is prevailing in some of the districts of Maharashtra;

(b) whether it is also a fact that wells in many areas have dried up which is causing great hadship to the rural people ;

(c) whether the Government of Maharashtra have sought any Central assistance for theset wo complementary items and if so, the total demand projected ; and

(d) the amounts sanctioned for 1983-84 ;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) Government of Maharashtra have reported that on the basis of crop cutting experiments, 19 districts have been notified as drought affected.

(b) The State Government have reported that as a result of scanty precipitation in many districts, level of water in wells has gone low and some of them may dry-up. They have also indicated that low precipita-